

आयुष मंत्रालय  
मांग संख्या 4  
आयुष मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	2538.42	...	2538.42	3050.00	...	3050.00	2845.75	...	2845.75	3641.56	5.94	3647.50
<b>वसूलियां</b>	-179.34	...	-179.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>2359.08</b>	...	<b>2359.08</b>	<b>3050.00</b>	...	<b>3050.00</b>	<b>2845.75</b>	...	<b>2845.75</b>	<b>3641.56</b>	<b>5.94</b>	<b>3647.50</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	44.70	...	44.70	44.71	...	44.71	44.37	...	44.37	44.74	3.70	48.44
2. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	17.90	...	17.90	13.82	...	13.82	12.65	...	12.65	13.13	0.15	13.28
3. भारतीय औषधि और होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग	10.96	...	10.96	14.39	...	14.39	13.52	...	13.52	15.95	2.09	18.04
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>73.56</b>	...	<b>73.56</b>	<b>72.92</b>	...	<b>72.92</b>	<b>70.54</b>	...	<b>70.54</b>	<b>73.82</b>	<b>5.94</b>	<b>79.76</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की आयुष योजना</b>												
4. आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य	0.51	...	0.51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. सूचना, शिक्षा एवं संचार	30.04	...	30.04	43.88	...	43.88	55.40	...	55.40	41.00	...	41.00
7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन	62.94	...	62.94	86.10	...	86.10	94.60	...	94.60	44.27	...	44.27
8. आयुष कार्मिकों का पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई)	4.80	...	4.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. अनुसंधान संस्थाओं आदि के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं	2.14	...	2.14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. चैम्पियन सेना क्षेत्र स्कीम	19.13	...	19.13	60.22	...	60.22	10.06	...	10.06	21.68	...	21.68
11. आयुर्वेद - जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य और अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	...	...	...
12. प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
13. आयुर्जान	4.49	...	4.49	15.50	...	15.50	10.85	...	10.85	9.00	...	9.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. आयुस्वास्थ्य योजना	35.00	...	35.00	27.79	...	27.79	11.00	...	11.00	6.00	...	6.00
15. आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना"	1.77	...	1.77	23.50	...	23.50	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
16. औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और संधारणीय प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्रक योजना	31.30	...	31.30	48.49	...	48.49	48.25	...	48.25	43.49	...	43.49
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की आयुष योजना</b>	<b>192.14</b>	<b>...</b>	<b>192.14</b>	<b>306.98</b>	<b>...</b>	<b>306.98</b>	<b>250.16</b>	<b>...</b>	<b>250.16</b>	<b>185.44</b>	<b>...</b>	<b>185.44</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>192.14</b>	<b>...</b>	<b>192.14</b>	<b>306.98</b>	<b>...</b>	<b>306.98</b>	<b>250.16</b>	<b>...</b>	<b>250.16</b>	<b>185.44</b>	<b>...</b>	<b>185.44</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
17. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	3.41	...	3.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली	0.90	...	0.90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान	64.49	...	64.49	80.40	...	80.40	105.21	...	105.21	150.13	...	150.13
20. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग	3.23	...	3.23	7.30	...	7.30	8.73	...	8.73	12.67	...	12.67
21. भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग	9.93	...	9.93	22.44	...	22.44	22.03	...	22.03	23.45	...	23.45
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>81.96</b>	<b>...</b>	<b>81.96</b>	<b>110.14</b>	<b>...</b>	<b>110.14</b>	<b>135.97</b>	<b>...</b>	<b>135.97</b>	<b>186.25</b>	<b>...</b>	<b>186.25</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
22. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	312.72	...	312.72	358.50	...	358.50	358.50	...	358.50	379.50	...	379.50
23. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद	135.33	...	135.33	143.70	...	143.70	143.70	...	143.70	145.00	...	145.00
24. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद	157.73	...	157.73	175.80	...	175.80	175.05	...	175.05	173.30	...	173.30
25. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान												
25.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	342.87	...	342.87	227.10	...	227.10	231.10	...	231.10	235.15	...	235.15
26. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता												
26.01 सकल बजटीय सहायता(जीबीएस)से सहायता	110.60	...	110.60	78.74	...	78.74	65.92	...	65.92	108.59	...	108.59
27. अन्य स्वायत्त निकाय												
27.01 सकल बजटीय सहायता(जीबीएस) से सहायता	672.64	...	672.64	776.12	...	776.12	764.81	...	764.81	954.51	...	954.51
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>1731.89</b>	<b>...</b>	<b>1731.89</b>	<b>1759.96</b>	<b>...</b>	<b>1759.96</b>	<b>1739.08</b>	<b>...</b>	<b>1739.08</b>	<b>1996.05</b>	<b>...</b>	<b>1996.05</b>
<b>अन्य</b>												
28. वास्तविक बसूलियां	-179.34	...	-179.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>1634.51</b>	<b>...</b>	<b>1634.51</b>	<b>1870.10</b>	<b>...</b>	<b>1870.10</b>	<b>1875.05</b>	<b>...</b>	<b>1875.05</b>	<b>2182.30</b>	<b>...</b>	<b>2182.30</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन</b>												
29. राष्ट्रीय आयुष मिशन	458.87	...	458.87	800.00	...	800.00	650.00	...	650.00	1200.00	...	1200.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>2359.08</b>	<b>...</b>	<b>2359.08</b>	<b>3050.00</b>	<b>...</b>	<b>3050.00</b>	<b>2845.75</b>	<b>...</b>	<b>2845.75</b>	<b>3641.56</b>	<b>5.94</b>	<b>3647.50</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1905.02	...	1905.02	2143.32	...	2143.32	2114.95	...	2114.95	2350.09	...	2350.09
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	5.26	...	5.26	44.71	...	44.71	44.37	...	44.37	44.74	...	44.74
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.94	5.94
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1910.28</b>	<b>...</b>	<b>1910.28</b>	<b>2188.03</b>	<b>...</b>	<b>2188.03</b>	<b>2159.32</b>	<b>...</b>	<b>2159.32</b>	<b>2394.83</b>	<b>5.94</b>	<b>2400.77</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	181.97	...	181.97	126.43	...	126.43	230.73	...	230.73
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	433.67	...	433.67	610.00	...	610.00	507.50	...	507.50	920.00	...	920.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	15.13	...	15.13	70.00	...	70.00	52.50	...	52.50	96.00	...	96.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>448.80</b>	<b>...</b>	<b>448.80</b>	<b>861.97</b>	<b>...</b>	<b>861.97</b>	<b>686.43</b>	<b>...</b>	<b>686.43</b>	<b>1246.73</b>	<b>...</b>	<b>1246.73</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>2359.08</b>	<b>...</b>	<b>2359.08</b>	<b>3050.00</b>	<b>...</b>	<b>3050.00</b>	<b>2845.75</b>	<b>...</b>	<b>2845.75</b>	<b>3641.56</b>	<b>5.94</b>	<b>3647.50</b>

1. **सचिवालय:** आयुष मंत्रालय को सचिवालयीय सेवा प्रदान करता है।

2. **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड:** एएसयू एवं एच औषधियों के विनिर्माण हेतु आखोस्त गुणवत्ता की कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए औषधीय पादपों के स्व-स्थाने संरक्षण और पर-स्थाने कृषि को प्रोत्साहन देने के नजरिए से औषधीय पादप बोर्ड संवर्धनात्मक और संविदात्मक कृषि स्कीमें चलाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की पहल पर 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू खपत और निर्यात के लिए औषधीय पादपों की उच्च अग्रता प्राप्त कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 32 राज्तीय औषधीय पादप बोर्ड गठित किए गए हैं।

3. **भारतीय औषधि और होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग:** यह आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जो भारत में सभी आयुष औषधियों से संबंधित औषध परीक्षण हेतु एक अपीलिय प्राधिकरण है। इसके अलावा, यह संगठन सभी आयुष औषधियों के लिए मानक निर्धारित करता है जो भेषज संहिता के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

4. **आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा इत्यादि में कार्यरत गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता:** छाति प्राप्त आयुष संस्थाओं के कार्यों और सुविधाओं दोनों का उन्नयन उत्कृष्टता स्तर तक करने के लिए सृजनशील एवं नवाचारी प्रस्तावों को सहायता प्रदान करना।

5. **आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आयुष उपचारों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष चिकित्साव्यभ्यसियोंके उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार और निजी संगठनों के नवाचारी प्रस्तावों को सहायता प्रदान करना।

6. **सूचना, शिक्षा एवं संचार:** सभी के लिए स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रव्य-दृश्य शैक्षणिक सामग्री के उत्पादन सहित विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से आयुष पद्धतियों की प्रभावकारिता के बारे में समुदाय सदस्यों के बीच जागृति उत्पन्न करना। इस प्रावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बढ़ावा देना भी शामिल है।

7. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोबा-रिग्पा और होम्योपैथी के अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन, विकास और मान्यता को सुगम बनाने के लिए आयुष चिकित्सक पद्धतियों की वैश्विक स्वीकार्यता को प्रोत्साहन देना; उभरती स्वास्थ्य समस्याओं में आयुष क्षमताओं एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष पणधारियों के वार्तालाप और विपणन विकास को अपनाना तथा अन्य देशों में आयुष की शैक्षिक पीठों की स्थापना करना।

8. **आयुष कार्मिकों का पुनर्विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई):** आयुष कार्मिकों की व्यावसायिक सक्षमता एवं कौशल का उन्नयन करना।

9. **अनुसंधान संस्थाओं आदि के माध्यम से बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाएं:** प्राथमिकतापरक बीमारियों के उपचार हेतु बहिर्वर्ती तरीके से अनुसंधान एवं विकास को सहायता देना, आयुष औषधों एवं उपचारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता के लिए वैज्ञानिक साध्यों को मानकीकृत करना/वैध बनाना तथा विकसित करना और अंतरविषयक दृष्टिकोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिक ज्ञान-वीन करना।

10. **चैम्पियन सेवा क्षेत्र स्कीम:** आयुष स्वास्थ्य परिचर्या सुपर स्पेशियलिटी डे केयर अस्पताल की स्थापना और आयुष ग्रिड के कौशल विकास और स्थापना के माध्यम से आयुष क्षेत्र में चिकित्सा पर्यटन प्रदान करना।

11. **आयुर्वेद - जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य और अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम:** योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुदृढीकरण और आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति की बेहतर समझ और प्रयोग के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को लागू करके मूल विज्ञान और चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियों के साथ आयुर्वेद के समेकन के क्षेत्रों तथा व्यावहारिक मॉडलों का पता लगाने के लिए एक मंच विकसित करना है।

12. **प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना:** 4000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से हर्बल खेती करना, जैसा कि आत्म निर्भर भारत 2020 में घोषणा की गई है।

13. **आयुर्ज्ञान:** आयुष मंत्रालय ने शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से आयुष शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'आयुर्ज्ञान' योजना लागू की है।

14. **आयुस्वास्थ्य योजना:** यह एक समावेशी योजना है जिसमें आयुष मंत्रालय की पिछली योजना "आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य" (पी एच आई) और "उत्कृष्टता केंद्र" (सी ओ ई) शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल (पी एच आई) के लिए आयुष का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य -2 (एसडीजी 2) और सतत विकास लक्ष्य -3 (एसडीजी 3) प्राप्त करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष अन्तर्षेप को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी संगठन के अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना है। विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों में आयुष अन्तर्षेपों के माध्यम से आयुष प्रणालियों की प्रभावकारिता को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। उत्कृष्टता केंद्र (सी ओ ई) का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार और आयुष को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऐसे अन्य क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों की दक्षताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्यों और सुविधाओं दोनों की स्थापना और उन्नयन के लिए रचनात्मक और अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना है।

15. **आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना:** आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना - आयुष औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए।

16. **औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और संधारणीय प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्रक योजना:** आयुष उद्योग और लोक चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के स्वस्थानों और/या बाह्यस्थानों संरक्षण, संसाधन संवर्धन को बढ़ावा देना। औषधीय पौधों के सभी पहलुओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, कृषि तकनीकों का विकास, कटाई के बाद प्रबंधन, भंडारण और प्रसंस्करण, आणविक लक्षण वर्णन उपकरण विकसित करना आदि। किसानों, संग्रहकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए औषधीय पौधों पर आधारित आजीविका प्रणाली को बढ़ाना। गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करना और बाजार संबंध बनाना/इष्टतम करना और मूल्यवर्धन करना। सूचना, शिक्षा और संचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उचित अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के माध्यम से मानव संसाधन विकास। दस्तावेजों, मोनोग्राफ, तकनीकी बुलेटिन, वृत्तचित्र, ब्रोशर, पोस्टर, अन्य प्रचार सामग्री आदि के प्रकाशन को बढ़ावा देना। औषधीय पौधों की जैव विविधता के संदर्भ में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कदम उठाना और द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

17. **केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली:** होम्योपैथी के केंद्रीय रजिस्टर का अनुकरण, दूसरी अनुसूची में योग्यता को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष पंजीकरण और सिफारिशें, एचसीसी अधिनियम की धारा 12क के संदर्भ में नए कॉलेजों को मान्यता देने, सीटों को बढ़ाने एवं नए/उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिफारिशें।

18. **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली:** स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं का दौरा करके आईएसएम कॉलेजों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों एवं अपेक्षाओं को निर्धारित एवं विनियमित करना, प्रवेश क्षमता को बढ़ाना और नए कॉलेज/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करना तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री निर्धारित करना (ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970

की दूसरी अनुसूची में/से चिकित्सा योग्यताओं (शामिल करना/निकालना) की मान्यता संबंधी मामलों में केंद्रीय सरकार को सलाह देना (iii) भारतीय चिकित्सा की योग्यताओं को मान्यता प्रदान करना (iv) चिकित्सा अभ्यासियों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानक निर्धारित करना। (v) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजीका का अनुकरण करना और उसे समय-समय पर संशोधित करना तथा (vi) भाषिण चिकित्साभ्यासियों को नामांकन/प्रत्यक्ष पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना।

19. **आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** यह संस्थान आयुर्वेद में पिछण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान प्रदान करता है जिसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है।

20. **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग:** एक अधिनियम जो चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के लिए गुणवत्ता प्रदान करने में सुधार करता है और उच्च गुणवत्ता की पर्याप्त सस्ती चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है; देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों व सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने वाली समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है। परिप्रेष्य और होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों की सेवाएं बनाता है। सभी नागरिकों के लिए सुलभ और बहनीय; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है; जो होम्योपैथी चिकित्सा पेशेवरों को नवीनतम चिकित्सा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है अपने काम में अनुसंधान और अनुसंधान में योगदान करने के लिए; जिसका एक उद्देश्य आवधिक है और चिकित्सा संस्थानों का पारदर्शी मूल्यांकन और रखरखाव की सुविधा भारत के लिए एक होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर और उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में; जो बदलती जरूरतों के अनुकूल होने के लिए लचीला है और इसमें एक प्रभावी शिकायत से और जुड़े या उसके आनुपंगिक मामलों हेतु निवारण तंत्र है।

21. **भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग:** एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए जो गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा में सुधार करता है, देश के सभी हिस्सों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। जो समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेष्य को प्रोत्साहित करता है और ऐसे चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को भी सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती बनाता है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है, जो ऐसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन है और भारत के लिए चिकित्सा प्रणाली के एक मेडिकल रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है, जो बदलती जरूरतों के अनुकूल होने के लिए लचीला है।

22. **केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद:** आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्र हैं- औषधीय पादप अनुसंधान, चिकित्सा -नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, औषध मानकीकरण, भेषज संहितागत अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन।

23. **केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद:** होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना। अनुसंधान के मूल क्षेत्रों में शामिल हैं - औषधीय पादप अनुसंधान (चिकित्सा-नृजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भेषज विज्ञान भेषज संहितागत अनुसंधान), औषध मानकीकरण, औषध परीक्षण, नैदानिक अनुसंधान, नैदानिक साहित्यिक अनुसंधान, बुनियादी मौलिक अनुसंधान एवं प्रलेखन।

24. **केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद:** नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण तथा आईईसी क्रियाकलाप शुरू करने तथा अनुसंधान अभिमुखी विस्तार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त औषधीय पादपों की कृषि के क्षेत्रों में यूनानी चिकित्सा पर अनुसंधान शुरू करना।

25. **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान:** राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद में स्नातकोत्तर एवं डाक्टरोपरांत (एमडी/पीएचडी) शिक्षा के लिए मानक-आधार तैयार करना।

26. **राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता:** ओपीडी और आईपीडी में मरीज देखभाल से संबंधित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाना।

27. **अन्य स्वायत्त निकाय:** इसमें (i) आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीजीटीआरए), जामनगर (ii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर (iii) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली (iv) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई (v) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलूर (vi) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली (vii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे (viii) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान (एनआईएएच), शिलांग (ix) पूर्वोत्तर पारंपरिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएफएम), पासीघाट (x) राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान (xi) राष्ट्रीय सोबा-रिग्या संस्थान तथा (xii) राष्ट्रीय आयुष भेषज विज्ञान संस्थान (xiii) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएएफएमआर), पासीघाट के लिए प्रावधान शामिल हैं।

29. **राष्ट्रीय आयुष मिशन:** (i) आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से वैश्विक पहुंच के साथ किफायती आयुष सेवाएं उपलब्ध करना; स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सीएचसी एवं जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के रूप में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं के उन्नयन के जरिए व्यापक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था करना (ii) राज्य स्तर पर आयुष शैक्षिक संस्थानों, फार्मसियों, औषधि परीक्षण का उन्नयन कर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना (iii) औषधीय पादपों की कृषि को सहायता देना (iv) आयुष की आपूर्ति के लिए गुणवत्तानयुक्त और मानकीकृत घटकों का उत्पादन करना (v) विपणन के पञ्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संबंधों के साथ औषधीय पादपों की जड़ी-बूटीय उद्योग और निर्यात विपणन से संचालित कृषि को सहायता प्रदान करना, फसलोपरांत प्रबंधन और प्रमाणन करना (vi) कृषि पद्धतियों में औषधीय पादपों का समेकन करना और (vii) औषधीय पादपों की मूल्य वर्धित मदों के निर्यात में वृद्धि करना।